जनपद-संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक 13-08-2019**

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री ब्रजेश सिंह के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री असित श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण मे जनपद संतकबीरनगर मे दिनॉक 13.08.2019 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियो पर नियन्त्रण हेतु चलाये गये चेकिंग अभियान मे निम्नलिखित कार्यवाहिया की गयी।

वारण्टी

थाना महुली पुलिस द्वारा एक वारण्टी नाम पता शिव प्रसाद पुत्र विपत निवासी डुमरिया थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1487 ने घायल को पहुचाया अस्पताल – पीआरवी 1487 को थाना दुधारा क्षेत्र के अन्तर्गत इवेन्ट संख्या 4829 से कालर ने दुर्घटना होने के सम्बन्ध में सूचना दी। इस सूचना पर पीआरवी कर्मियो द्वारा तत्काल 05 मिनट में मौके पर पहुचकर घायल को पीआरवी से इलाज हेतु चिकित्सालय पहुचाया गया तथा थाना दुधारा को सूचित किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुचकर घायल व्यक्ति की जान बचाई गयी। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मुख्य आरक्षी श्याम सुन्दर मिश्र, मुख्य आरक्षी संतोष सिंह, होमगार्ड चालक शिव कुमार गौड़।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 16 वाहनो से 26100 रु0 सम्मन शुल्क वसूल

आज दिनांक 13-08-2019 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 16 वाहनो से 26100 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 13 अभियुक्त गिरफ्तार –

- **धनघटा पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- **महुली पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- **बखिरा पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

एन्टी रोमियो अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही

आज दिनांक 13-08-2019 को जनपदीय पुलिस व एण्टी रोमियो टीम द्वारा मनचले / रोमियो चेकिंग के दौरान 17 स्थानों पर चेक करते हुए कुल 54 व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमे से मनचले व शोहदे किस्म के लड़को से पूछताछ करने के पश्चात कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा हिदायत दी गयी कि बिना किसी कारण के बाजारों व चौराहों के आसपास दोबारा घूमते हुए पाये जाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।